


पंजीकृत पायती उल्लंघन पत्र सह कारण बताओ नोटिस

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,  
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/बडौदा/फ्लोरो- 02 Mine code 24GUJ18002 ID

दिनांक: 09.11.2023

सेवा में : G.M.D.C लि.

फ्लोरोस्पर प्रोजेक्ट, कडीपानी

तालुका - कावंट, जिला - छोटा उदेपुर 391 175 (गुजरात)

e mail – kadipani@gmdcltd.com

विषय: गुजरात राज्य के जिला- छोटा उदेपुर की तालुका- कावंट में स्थित आपकी अंबाडूंगर फ्लोरोस्पर खान, क्षेत्रफल- 63.2 हे. (पूर्व में 31.2 हे.) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का संशोधित खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28.10.2023 को श्री प्रफुल्ल कुमार रस्तौगी, खान अभिकर्ता की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-338/2021-22MDRD(N)GNR दिनांक 13.08.2021 के द्वारा अनुमोदित रिज्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित खनन योजना की सारणी संख्या 62 के अनुसार वर्ष 2022-23 में खान पर 280 मी. की Fencing किए जाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित Fencing नहीं की गयी है।
45(5)(c) read with 45(7)	वर्ष 2022-23 के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की संवीक्षा में निम्न कमी पाई गई है - (१) पार्ट - VII में Cost of production 6638.89 तथा पार्ट - VI के बिन्दु संख्या 5 में Sale value 6353.88 दर्शाई गई है, जो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है।
34A(1) read with rule	The Submitted output/details of the drone survey were not found as per the SOP issued by under rule 34A (5). (I) .shp file for plantation has not been submitted.

I/20023/2023

34A(5)

०२. In this connection, it is brought to your kind notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 62 of MCDR 2017.
०३. Mining operations can be suspended as per rule 11(2) in case of non-compliance of above relevant rules of MCDR 2017 as these above rules also affect the rule 11(1) i.e. Systematic scientific and responsible mining and/or state Government may be informed to take actions as per competent directives.
०४. You are also liable to pay an amount of Rs.10000/-per day for such days as per **Schedule-II**, read with Rule 45(7A) in case of non-compliance of various provisions of Rule 45.
०५. As per provision of Rule 45(7) and/or 45(7A)(ii) the Regional Controller of Mines may take appropriate action including order of suspension of **all mining operations and dispatches** on non-compliance of various provisions of Rule 45.
०६. In context to the violations of Rule 45, this letter has been considered as show cause notice where you are advised to rectify above violation immediately. You are therefore directed to show cause within a period of 30 days from the date of issue of this letter as to why the action under Rule 45(7) and/or 45(7A) shall not be taken against you. No further notice will be given to you in this regard.
०७. You are advised to rectify the above violation immediately and intimate the compliance position to this office, within 30 days in case of comply of rule of 45 and within 45 days for other violated rule from date of issue of this letter.
०८. यह उल्लंघन पत्र सह कारण बताओ नोटिस क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय  
 ०९.११.२३  
 ( मनीष गुप्ता )  
 सहायक खान नियंत्रक  
 भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि - १. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. खनिज सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर [mms@ibm.gov.in](mailto:mms@ibm.gov.in) को सूचनार्थ तथा Refer back करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

३. रक्षित पत्रावली।

०९.११.२३  
 सहायक खान नियंत्रक  
 भारतीय खान ब्यूरो